राजस्व उप निरीक्षक ने अपने प्रतिवेदन में उल्लेख किया है कि विवादित भूमि मौजा-बड़कीटांड थाना नं0 340 खाता नं0-15 प्लॉट नं0-470 रकवा-67 डी0 ऑनलाईन खतियान के अनुसार विशुन मियां वगैरह के नाम से रैयती दर्ज है।

प्रथम पक्ष को प्रश्नगत भूमि केवाला संख्या-17714 दिनांक 15.06.74 को श्रीमती कविलास देवी, पति-उदित नारायण सिंह ने तेरेसा केरकेट्टा पति-जोसेफ तोपनो को बिक्री किया। मौजा-बड़कीटांड थाना नं0-340 खाता नं0-15, 17, 21 रकवा-3.80 एकड़ तेरेसा केरकेट्टा के नाम से पेज नं0-148/2 पर दर्ज है। ऑनलाईन पंजी-2 मौजा-बड़कीटांड थाना नं0-340 खाता नं0-15, 17, 21 रकवा-3.80 एकड़ तेरेसा केरकेट्टा के नाम से पेज नं0-148/1 पर प्रविष्ट दर्ज है। शुद्धि पत्र के अनुसार नामातंरण केश संख्या-689/81-82 खाता नं0-15, 17, 21 प्लॉट नं0-472, 470, 310, 311 रकवा-3.80 एकड़ श्रीमती तेरेसा केरकेट्टा पति-जोसेफ तोपनो दर्ज है। केवाला संख्या-4774 दिनांक 08.03.69 को विक्रेता 1. सरदारू मियां, 2. पुरन मियां, 3. सोबराती मियां, पिता-बुधु मियां, 4. वीरअली मियां, 5. शानू मियां दोनों पिता-झुलो मियां 6. रोजन मियां, 7. डहरू मियां दोनों पिता-झुलो मियां से क्रेता कविलास देवी, पति-उदित नारायण सिंह को केवाला द्वारा निम्न भूमि प्राप्त है :-

मौजा	थाना नं0	खाता नं0	प्लॉट नं0	रकवा
बड़कीटांड	340	15	470	56 डी0
			19	2.00 ए0

				2.56 एकड़

विपक्षी द्वारा लगान रसीद वर्ष 2021-21 मौजा-बड़कीटांड थाना नं0-340 खाता नं0-15 रकवा-04.81 एकड़ परमली मियां, विशुन मियां के नाम से 9/2 पर निर्गत है। इनके द्वारा खतियान के आधार पर दावा किया गया है। उभय पक्ष को नोटिस निर्गत कर अपना-अपना पक्ष रखने का पूर्ण मौका दिया गया।

विपक्षी ने प्रथम पक्ष के आरोपों के संबंध में मौजा-बड़कीटांड थाना नं0-340 खाता नं0- 15 रकवा-4.81 एकड़ परमली मियां, विशुन मियां के नाम से निर्गत रसीद तथा खतियान के आधार पर वादगद भूमि पर दावा किया जा रहा है। उनका पक्ष है कि हमलोगों द्वारा जमीन नहीं बेचा गया है।

प्रथम पक्ष (जोसेफ तोपनो) ने विपक्षी के दावे का खण्डन करते हुए पक्ष रखा है कि वादगद भूमि मौजा-बड़कीटांड थाना नं0-340 खाता नं0-15 प्लॉट नं0-470 रकवा-67 डी0 विशुन मियां वगैरह के नाम से खतियानी रैयती भूमि है, जिसे विपक्षी रोजन मियां वो डहरू मियां पिता-झुलो मियां तथा सोबराती मियां पिता-बुधु मियां ने सरदारू मियां, पुरन मियां, पिता-बुधु मियां एवं वीरअली मियां वो शानू मियां, पिता-जीतु मियां के साथ मिलकर केवाला संख्या 4775 दिनांक 08.03.69 को कविलास देवी पति-उदित नारायण सिंह को मौजा-बड़कीटांड थाना नं0-340 खाता नं0-15 प्लॉट नं0-470 रकवा-56डी0 एवं प्लॉट नं0-19 रकवा-2.02 एकड़ कुल रकवा-2.56 एकड़ बिक्री किया साक्ष्य मे केवाला की प्रति संलग्न किया।

प्रथम पक्ष वादगद भूमि का विधिवत दाखिल-खारीज

कराकर शुद्धिपत्र प्राप्त कर सरकार को लगान अदा कर रहा है।

वादगद भूमि को बिक्री कर बिक्री से मुकर जाना विरोधाभाष प्रतीत होता है। खतियानधारी के द्वारा भूमि बिक्री करने पश्चात खतियान के आधार पर दावा करना जो न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है।

–: निष्कर्ष :–

उभय पक्षों का राजस्व कागजातों एवं रखे गये पक्षों तथा अन्य साक्ष्यों से प्रतीत होता है कि द्वितीय पक्ष वादगद भूमि केवाला संख्या 4775 दिनांक 08.03.1969 से 07 (सात) विक्रेताओं के साथ लगभग 56 वर्ष पूर्व ही बिक्री कर चुके है। जिसे प्रथम पक्ष ने कविलास देवी जौजे उदित नारायण सिंह से केवाला सख्या 17714 दिनांक 15.06. 1974 से क्रय किया है जिसपर विपक्षी का दावा करना और विधि–व्यवस्था समस्या उत्पन्न करना न्यायोचित नहीं है।

उपरोक्त परिप्रेक्ष्य में विपक्षी का दावा को खारीज किया जाता है। यदि पक्षकार आदेश से सहमत नहीं है तो सक्षम न्यायालय में अपील दायर कर सकते है।

अतः वाद की कार्रवाई समाप्त किया जाता है।

लेखापित एवं संशोधित।

28.08.2025

अंचल अधिकारी,
गाण्डेय।

28.08.2025

अंचल अधिकारी,
गाण्डेय।

Digitally signed by MD HUSSAIN
Date: 2025.09.06 13:29:16 +05:30
Location: 192.168.1.4